

राजस्थान सरकार
वित्त (आबकारी) विभाग

क्रमांक प.11(28)वित्त/आब/2014

जयपुर, दिनांक 1 MAY 2020

राजस्थान आबकारी सेवा(निवारक शाखा अधिकारी) में कार्यरत संयुक्त आबकारी आयुक्त, उपायुक्त, आबकारी अधिकारी एवं सहायक आबकारी अधिकारी की दिनांक 01.04.2020 की स्थिति में अस्थाई वरिष्ठता सूची (Provisional Seniority List) दिनांक 20.04.2020 को प्रसारित कर आपत्तियां आमंत्रित की गई थी। निर्धारित अवधि की समाप्ति तक राज्य सरकार को वरिष्ठता के संबंध में किसी प्रकार की आपत्तियां प्राप्त नहीं होने पर निम्नानुसार अन्तिम वरिष्ठता सूची (Final Seniority List) जारी की जाती है:-

राजस्थान आबकारी सेवा(निवारक शाखा अधिकारी)

क्र. सं.	नाम अधिकारी	चयन वर्ष	विशेष विवरण
(1) अतिरिक्त/संयुक्त आबकारी आयुक्त, निरोधक दल			
—	—	—	—
(2) उपायुक्त, निरोधक दल			
—	—	—	—
(3) आबकारी अधिकारी			
1.	श्री राजेन्द्र पारीक	2015-2016	सेवानिवृत्ति दिनांक 28.02.2021
2.	श्री नरेन्द्र सिंह शेखावत	2015-2016	—
3.	श्री राम लाल मीणा (एस.टी)	2015-2016	—
4.	श्री गोपाल दीक्षित	2016-2017	—
5.	श्री दर्ईदान सिंह	2018-2019	—
(4) सहायक आबकारी अधिकारी			
1.	श्री हरि राम रोट (एस.टी)	2010-2011	सेवानिवृत्ति दिनांक 31.01.2021
2.	श्री नरेन्द्र कुमार कुमावत	2011-2012	सेवानिवृत्ति दिनांक 31.08.2020
3.	श्री महीपाल सिंह राणावत	2011-2012	—
4.	श्री पोमा राम (एस0सी)	2011-2012	—
5.	श्री अरविन्द प्रताप सिंह (एस.सी)	2011-2012	—
6.	श्री ज्ञान प्रकाश मीणा (एस0टी)	2011-2012	—
7.	श्री विजय जोशी	2011-2012	—
8.	श्री प्रद्युमन सिंह	2011-2012	—
9.	श्री मदन लाल खटीक (एस.सी)	2012-2013	—
10.	श्री महावीर कुमार राठौड़	2012-2013	—
11.	श्री राकेश शर्मा	2012-2013	—
12.	श्री अचल सिंह भाटी	2017-2018	—
13.	श्री हुकम सिंह सोढा	2017-2018	—

भवदीय,

(औंकार मल राजोतिया)
संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, प्रशासनिक सुधार(ग्रुप-7) विभाग।
2. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, वित्त विभाग।
3. निजी सचिव, शासन सचिव, वित्त(राजस्व) विभाग।
4. संबंधित अधिकारी द्वारा आबकारी आयुक्त, राजस्थान, उदयपुर।
5. तकनीकी निदेशक, वित्त(कम्प्यूटर) विभाग को प्रेषित कर लेख है कि कृपया उक्त आदेश वित्त विभाग की वेबसाईट पर प्रकाशित करने की व्यवस्था करें।
6. रक्षित पत्रावली।



संयुक्त शासन सचिव